संख्या : 576 जेड/6–89–7के0पी0/89

प्रेषक,

श्री मुकुट शरण श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
बी0–745, सेक्टर–सी0, महानगर,
लखनऊ।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : मार्च 09 , 1989

विषय : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में शहीद स्तम्भों/स्मारकों का निर्माण/ प्रतिमाओं की स्थापना के प्रस्तावों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा आपको विदित है, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों/सेनानियों की स्मृति में स्मारकों आदि का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना का कार्य उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सम्पादित किया जाता है। प्रायः देखा गया है कि संस्थान द्वारा शहीद स्मारकों के निर्माण/प्रतिमाओं की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्तावों के निस्तारण में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, जिसके कारण निस्तारण की प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं रहती। इन मामलों में कभी तो मंत्री, संस्थान द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त की जाती है तो कभी सीधे सार्वजनिक निर्माण विभाग से ऐसे स्मारकों के निर्माण के सम्बन्ध में आगणन/मानचित्र तैयार करने के लिये कहा जाता है। जब कोई प्रस्ताव संस्थान से शासन को प्राप्त होता है तो उसका परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्मारक के निर्माण/प्रतिमाओं के लगाने का कोई औचित्य है अथवा नहीं तथा उसके लिये भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। जिन शहीदों / स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों के निर्माण अथवा प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है उनके महत्व पर भी प्रकाश नहीं डाला जाता। इन सब बातों का यह परिणाम होता है कि वित्तीय स्वीकृति जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

अतः इस मामले में विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब कोई भी स्मारक निर्माण/मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव शासन से प्राप्त हो या सीधे संस्थान से प्राप्त हो तो उस प्रस्ताव पर विचार करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय :–

(1) संस्थान द्वारा जिलाधिकारी/प्रस्तावक से उस व्यक्ति के विषय में जिसके स्मारक का निर्माण/प्रतिमा की स्थापना का प्रस्ताव है, संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण प्राप्त कर लिया जाय। उक्त विवरण में प्रश्नगत शहीद/स्वतंत्रता सेनानी के कार्य–कलापों/बलिदानों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उसके साथ ही स्मारकों के निर्माण के औचित्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति प्राप्त की

जाय। यह भी ज्ञात किया जाय कि स्मारक का स्वरूप क्या होग, अर्थात उद्यान होगा, स्तम्भ लगाया जायेगा या मूर्ति स्थापित की जायेगी।

(2) जिलाधिकारी से स्पष्ट रूप से भूमि की उपलब्धता के विषय में आख्या प्राप्त की जानी चाहिए जिस पर शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना है। जिलाधिकारी की आख्या में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

(3) प्रस्ताव के सम्बंध में आवश्यक विवरण के आधार पर उसका अनुमोदन संस्थान की कार्यकारिणी से प्राप्त किया जाय।

(4) प्रस्ताव पर संस्थान की कार्यकारिणी परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण एजेन्सी से नक्शा एवं आगणन तीन प्रतियों में तैयार करा लिया जाय और शासन को दो प्रतियों सहित वित्तीय स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाय।

(5) वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाने के पश्चात संस्थान द्वारा निर्माण एजेन्सी से यह आख्या प्राप्त की जाय कि प्रस्तावित स्मारक का निर्माण अनुमानतः कितनी अवधि में हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया भविष्य में उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे शासन स्तर पर स्मारकों के निर्माण/प्रतिमाओं की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर कार्यवाही करने एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

भवदीय,
ह0
(मुकुट शरण श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या– 576(1) जेड/6–89, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण भ्वन, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0
(मुकुट शरण श्रीवास्तव)
उप सचिव।